अध्याय–1: सामान्य

1.1 परिचय

वर्ष 2017–18 के दौरान आबकारी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल राजस्व का 14.78 प्रतिशत था। हमारी लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकंलित करना था कि राज्य का आबकारी विभाग, राज्य के राजस्व हितों को सुरक्षित रखने में सक्षम था।

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संग्रहित आबकारी प्राप्तियों के रूझान, वर्तमान प्रतिवेदन में अपनाये गए लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंडों, पद्वति और कार्यप्रणाली का विहंगावलोकन है। अध्याय 2 एवं 3 आबकारी नीतियों और विशिष्ट जोन के अनियमित सृजन की कमियों को इंगित करते हैं। अध्याय 4 मदिरा के मूल्य निर्धारण, गणना में अन्य अनियमितताओं और प्राप्तियों पर इसके प्रभाव से संबंधित है। अध्याय 5 न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) के कारण आबकारी राजस्व की कम वसूली से संबंधित है।

1.2 राज्य आबकारी प्राप्तियों के रूझान

वर्ष 2008–18 के लिये राज्य आबकारी राजस्व बजट अनुमानों एवं इसके सापेक्ष वास्तविक राजस्व प्राप्तियों का विवरण **तालिका–1.1** में दिखाया गया है:

तालिका–1.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त विभाग द्वारा निर्धारित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में आधिक्य (+)/ कमी (-) का प्रतिशत	विगत वर्ष के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों की भिन्नता का प्रतिशत (आधिक्य)
2008–09	5,040.00	4,720.01	(–) 6.35	16.47
2009–10	5,176.45	5,666.06	(+) 9.46	16.73
2010–11	6,763.23	6,723.49	(–) 0.59	16.26
2011–12	8,124.08	8,139.20	(+) 0.19	15.47
2012–13	10,068.28	9,782.49	(–) 2.84	20.19
2013–14	12,084.00	11,643.84	(–) 3.64	19.03
2014–15	14,500.00	13,482.57	(–) 7.02	15.79
2015–16	17,500.00	14,083.54	(–) 19.52	4.46
2016–17	19,250.00	14,273.49	(–) 25.85	1.35
2017–18	20,593.23	17,320.27	(–) 15.89	21.35

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2008–18 की अवधि में वास्तविक प्राप्तियों और बजट अनुमानों में भिन्नता (–) 25.85 प्रतिशत (2016–17 में) और (+) 9.46 प्रतिशत (2009–10 में) के मध्य थी। राज्य आबकारी विभाग ने बताया (सितम्बर 2018) कि उत्तर प्रदेश में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के उच्चतम् फुटकर मूल्य (एमआरपी) का पड़ोसी राज्यों से अधिक होने के कारण, पड़ोसी राज्यों से अत्याधिक तस्करी होना एवं राजमार्गों के पास स्थित मदिरा की दुकानों का संचालन न होने के कारण, 2017–18 के दौरान बजट अनुमानों को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से वांछित अभिलेखों के बार–बार मांगने एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक (जुलाई 2018) के बावजूद, संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण, क्रमिक वार्षिक बजटों में इस तरह के बढ़े हुए अनुमानों (राजस्व अनुमानों) के औचित्य का विश्लेषण नही किया जा सका। इस मामले को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के संज्ञान में भी लाया गया (अगस्त 2018), इसके बावजूद लेखापरीक्षा द्वारा बजट अनुमानों के औचित्य का

विश्लेषण करने के लिए वित्त विभाग से संबंधित अभिलेखों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उददेश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

1. क्या राज्य सरकार देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपने राजस्व हित को सुरक्षित रख सकी;
2. क्या ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के मार्जिन एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क की सही गणना करने एवं आसवनियों एवं यवासनियों द्वारा प्रस्तुत ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 के औचित्य के आकलन के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद था; एवं,
3. क्या देशी शराब, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) आवंटित करने एवं सही आबकारी शुल्क की वसूली के लिए आबकारी विभाग के पास समुचित एवं पर्याप्त प्रक्रिया थी।

1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2001–18 की अवधि में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों, समय–समय पर संशोधित राज्य आबकारी नीति, समय–समय पर राज्य सरकार और आबकारी विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और सरकारी आदेशों एवं राजस्थान, उत्तराखण्ड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों की आबकारी नीतियां तथा उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों[1] में भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के समरूप / समान ब्रांडों के ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 को लेखापरीक्षा के मानदंड के रुप में अपनाया।

1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

- लेखापरीक्षा ने उत्तर प्रदेश की आबकारी नीतियों की तुलना पड़ोसी राज्यों (राजस्थान, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं मध्य प्रदेश) एवं अन्य दक्षिणी राज्यों (कर्नाटक, तमिलनाडु एवं तेलंगाना) की आबकारी नीतियों से, राज्य सरकार द्वारा अनुचित नीतियों के निर्धारण एवं प्रणालीगत कमियाँ, जोकि राज्य के राजस्व हित के प्रतिकूल थी, के कारण होने वाली राजस्व हानि को आंकलित करने के लिए की।
- लेखापरीक्षा ने प्रमुख सचिव, आबकारी एवं आबकारी आयुक्त (आ0आ0) कार्यालय एवं 13 आसवनियों / यवासवनियों[2] एवं नौ बाण्डों[3] के 2008–18 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की।

---

1 लेखापरीक्षा जाँच के लिए ऐसे समरूप / समान ब्राण्डों को लिया गया है जिनकी ई0डी0पी0 / ई0बी0पी0 उत्तर प्रदेश की तुलना में पड़ोसी राज्यों में से जिस राज्य में न्यूनतम थी।

2 **अलीगढ़** (वेव डिस्टलरी एवं ब्रीवरी लि0–आसवनी, वेव डिस्टिलरी एवं ब्रिवरी लि0–यवासवनी), **गाजियाबाद** (मोदी आसवनी, मोदीनगर आसवनी, मोहन मेकिन लि0 मोहन नगर आसवनी, मोहन मेकिन लि0 यवासवनी), **गोरखपुर** (सराया आसवनी), **मेरठ** (यूनाईटेड स्प्रिट लि0 यूनिट–आसवनी, दौराला चीनी मिल आसवनी, सैब मिलर–यवासवनी), **रामपुर** (रेडिको खेतान लि0–आसवनी), **शाहजहाँपुर** (यूनाईटेड स्प्रिट लि0 यूनिट–रोजा–आसवनी), **उन्नाव** (उन्नाव डिस्टिलरी एवं ब्रिवरी लि0–आसवनी, मोहन गोल्ड वाटर–यवासवनी)।

3 **गाजियाबाद** (बीम ग्लोबल स्प्रिट एवं वाईन इन्डिया प्रा0 लि0 अलवर राजस्थान – बी डब्लू एफ एल 2 ए, बाकार्डी इन्डियां प्रा0 लि0 उधम सिहं नगर उत्तराखण्ड– बी डब्लू एफ एल 2 ए, यूनाईटेड स्प्रिट लि0 चण्डीगड़ डिस्टिलरी एवं बाटलर्स लि0 बन्नौर पंजाब के पट्टाधारक, बी डब्लू एफ एल 2 ए, यूनाईटेड स्प्रिट लि0 मोनाक डिस्टिलरी एवं बाटलर्स लि0 मोनाक पंजाब के पट्टाधारक, बी डब्लू एफ एल 2 ए) **लखनऊ** (पर्नाड रिकार्ड इन्डिया प्रा0 लि0 ग्वालियर – बी डब्लू एफ एल 2 ए, दून वैली ब्रीवरीज लि0 औरगजेबपुर रुड़की हरिद्वार –बी डब्लू एफ एल 2 बी बसन्तार ब्रीवरीज लिमिटेड साम्बा जम्मू,–बी डब्लू एफ एल 2बी, दीवान माडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड राजस्थान–बी डब्लू एफ एल 2बी. (बाण्ड वह हैं जहां उत्तर प्रदेश में शुल्क भुगतान के बिना भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के बोतलबंद स्टाक रखे जाते हैं)।

- लेखापरीक्षा ने राज्य आबकारी और वाणिज्यिक कर विभागों से एक आसवनी के तुलन पत्र से संबंधित जानकारी और अभिलेख भी एकत्र किए।
- लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति पर प्रमुख सचिव, आबकारी से प्रारम्भिक गोष्ठी (4 अप्रैल 2018) में चर्चा की गयी। राज्य सरकार के मत को जानने के लिए, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर समापन गोष्ठी (13 जुलाई 2018) में प्रमुख सचिव, आबकारी एवं आबकारी आयुक्त के साथ चर्चा की गयी, तथापि उनके द्वारा कार्यवृत्ति की पुष्टि अद्यतन् (मार्च 2019) नहीं की गयी। मसौदा प्रतिवेदन जून 2018 और मार्च 2019 में राज्य सरकार और आयुक्तालय को भेज दिया गया था। उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2019)।

1.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने के लिए दिये गये सहयोग हेतु राज्य आबकारी विभाग का आभार व्यक्त करता है।

1.7 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में ₹ 24,805.96 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले, **"मदिरा के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण"** पर पाँच अध्याय शामिल हैं। इन पर आगे के अध्याय 2 से 5 में चर्चा की गयी है।